(ज) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों के सभी मामले जैसे और जिस समय सूचित/दर्ज किए जाए, तो इनकी रिपोर्ट इस मुख्यालय को भेजी जाए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति अथवा अन्य राहत की मंजूरी देने के लिए निदेशालय को भेजने हेतु आवश्यक टिप्पणी दी जाए।

(झ) चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अधिकांश सदस्य गरीब, अनपढ़ हैं तथा उन व्यक्तियों, जिन्होंने उन पर अत्याचार किए हैं, के बदले से डरते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाए तथा एस.एच.ओ. और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षति-पूर्ति हेतु अपनी शिकायतों को खुले विचार विमर्श के लिए आगे आने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

3. उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ, प्रशिक्षणाचार्य/पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सभी मूल पुनश्चर्या तथा प्रोत्साहक पाठ्यक्रमों के शिक्षण पाठ्यक्रम में, उपर्युक्त अधिनियमों/योजनाओं के प्रावधानों को शामिल करें।

4. इन निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाए तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा अति सावधानीपूर्वक इनका पालन किया जाए।

ह०/-
(विरेन्द्र प्रकाश)
डी.सी.पी./मुख्यालय (2)
कृते-पुलिस आयुक्त, दिल्ली

संख्या 23/3/90/2197-2222/सी. और टी.-एस.सी.-एस.टी. सैल, दिनांक 18-1-91

प्रति प्रेषित :—

1. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एल० तथा ओ० एवं (रेंजज) नई दिल्ली, उत्तरी, दक्षिणी, सी०आई०डी० तथा प्रशिक्षण, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली के वैयक्तिक सहायक।
3. सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त/अपराध तथा रेलवे एवं आई०जी० आई० एयरपोर्ट दिल्ली/नई दिल्ली तथा प्रधानाचार्य/पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली।
4. पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय (1), दिल्ली।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/मुख्यालय (पी०)।
6. निरीक्षक/ए०पी०-०पी०एच०क्यू०
7. एच०ए०आर०/पी०एच०क्यू० को 10 प्रतियों सहित।
8. एच०ए०सी० और टी० तथा एस० आई० 11 को गार्ड फाइल के लिए।

फूलों का निर्यात

2520. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश फलों के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है, और यदि हां, तो फूलों की खेती बढ़ाने और उनकी किस्मों में सुधार लाने और वैज्ञानिक पद्धति से फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1990 से अब तक उठाये गये कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए श्री पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1989 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया था ;

(ग) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) से (घ) फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बहुत गुंजाइश है। सरकार ने फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) 1988 में लागू की गई नई बीज नीति के निर्यात हेतु उत्पादन के लिये रोपण सामग्री के आयात में सुविधा हुई है।

(2) सम्भाव्यता अध्ययनों, प्रचार सामग्री, विशिष्ट परिवहन यनिटों तथा पैकेजिंग विकास के लिए कृषि परिसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(3) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए पौध सामग्री के लिये आयात परमिट जारी करने के कार्य को विकेन्द्रीकृत किया गया है। हैं।

(4) संगरोध पद्धतियां सरल बनाई गई है।

2. वर्ष 1989–90 के दौरान निर्यात 6.57 करोड़ रुपये का था जो 1990–91 में बढ़कर 7.86 करोड़ रुपये हो गया तथा इस वर्ष के लिये 10.00 करोड़ रुपये से अधिक का पूर्वानुमान है।

3. श्रीमती पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में फूलों की खेती पर एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। श्रीमती पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में फूलों की खेती के विकास पर विशेषज्ञ दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नोट संलग्न है।

4. इसके अनुसरण में 1992–93 तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिये फूलों की खेती के विकास हेतु एक योजना बनाई गई है।

5. दिल्ली और बम्बई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिये शीत भंडारण सुविधायें मुरया की जा रही हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड दिल्ली तथा बम्बई में कार्गोकटर्मिनलों पर दो "वाकइन" किस्म के कूलर लगाने के लिये कृषि और परिसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सहायता प्रदान कर रहा है।

फूलों के निर्यात के बारे में नोट

श्रीमती पी०पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में फूलों की खेती के विकास पर विशेषज्ञ दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(क) फूलों की खेती के विकास हेतु अभिज्ञात क्षेत्रों में से प्रत्येक में अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, उत्पादन, प्रसार, कटाई उपरांत उपचार, भंडारण व परिवहन के लिये बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिये समेकित कार्यक्रम की आवश्यकता।

(ख) महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फूलों तथा पौधों के जर्म-प्लाजम का आयात करना तथा नई और उत्कृष्ट किस्मों का विकास किया जाये।

(ग) आयातित पौध सामग्री को खराब किए बिना सीमाशुल्क तथा संगरोध कार्यालयों द्वारा हवाई अड्डों पर क्लीयर करने की सुविधा प्रदान की जाये।

(घ) आयात तथा निर्यात के लिये हवाई अड्डों पर फूल-उत्पादों के भंडारण की सुविधायें मुहैया की जायें।

(ङ) ग्रीन-हाऊस घटक आदि सहित सामग्री के आयात के बारे में आयात नीति और सीमाशुल्क में ढील दी जाए।

(च) राष्ट्रीय स्तर पर नीति निरूपण के लिये फूलों की खेती पर राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाये।

(छ) राज्य में फूलों की खेती के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वास्ते नीति निरूपण और सलाह के लिये राज्य स्तरीय समितियां गठित की जायें।

(ज) फूलों की खेती के विकास के कार्यक्रमों को रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाये।

(झ) कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों पर आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया जाये तथा तेज किया जाये।

(ञ) महत्वपूर्ण फूलों की फसलों के प्रसार के उन्नत तरीकों का विकास किया जाये और कोहरा तथा धुन्ध गृहों आदि का प्रावधान किया जाये।

(ट) हवाई भाड़े को युक्तिसंगत बनाया जाये।

(ठ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता को फिर से लागू किया जाये।

(ड) परिवहन व भंडारण के लिये शीत श्रृंखला जैसे विशेष बुनियादी ढांचे का प्रावधान किया जाये।

Deaths due to cold wave in Northern Region

2521. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several persons living below poverty line have died of severe cold in the northern region during December, 1991—January, 1992;

(b) if so, the number of cold wave deaths in the region this year as compared to that in 1988-89, 1989-90 and 1990-91; and

(c) whether any comprehensive schemes have been drawn by Government to avert such cold-wave deaths, if so, the details thereof and the expenditure incurred thereon during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) The information is being collected from the State Governments.

2522. *[Transferred to the 23rd March 1992].*

सब्जियों और फलों का भण्डारण और संरक्षण

2523. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आलू, सब्जियों और फलों के भण्डारण और संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से बागवानी फसलों की कटाई पश्चात अवसंरचना सुदृढ़ करने के बारे में एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अल्पावधि प्रशीतनगृहों/पूर्व-प्रशीतन इकाइयों (प्रि कलिंग यूनिट्स) की व्यवस्था